


06.05.2025

आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के आमनापन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से की जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में होना प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख0न0 1864 रकवा 0.0100, 1865 रकवा 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 02 रकवा 0.3900 हैक्टेयर वाकै ग्राम माडापुरा तहसील रुदावल में मौके की यथास्थिति बनाए रखे। आदेश 39 नियम 3 (क)(i)(ii)(iii) एवं 3 b सी. पी.सी की पालना की जाकर पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपवास

9/6/25 पत्रावली आज पेश हुई। वकील उपस्थित।
उपस्थित। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक
15/7/25 को पेश हो।

15/7/25 पत्रावली आज पेश हुई। वकील
प्रार्थी उपस्थित। पूर्वानुसार पत्रावली
दिनांक 16/8/25 को पेश हो।

16/9/25 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी एवं

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इण्डियन जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

उसने मशिक को न्यायालय हाजिर
के बार-बार कई मीलरालो के
आवाज दिलवाने के लिये उपायी
न्यायालय हाजिर में उपस्थित
नहीं आये। अतः उपायी का जवाब
आज्ञा हाजिरी एवं अज्ञात पेशी
में खारिज किया जाता है
परावकी फैसल कुमार होकर
नम्बर के मय हो आ 30 30 है

Handwritten signature

मि. जज

Faint handwritten notes and stamps at the bottom of the page.